

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार]

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक- 2, रायपुर कैम्पस

सैक्टर- 4, दीनदयाल उपाध्याय नगर

रायपुर, छत्तीसगढ़- 492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]

Regional Office, Raipur

KV. No.2, Raipur Campus

Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar

Raipur, Chhattisgarh-492010

website: www.roraipur.kvs.gov.in, E-mail:- ackvsroraipur@gmail.com, Tel:-0771-2262912(DC), 2262913 (AC)

फा.क्र.320-331/के.वि.सं.(क्षे.का)/रायपुर/Adm/2025-26/41-78

दिनांक: 01/04/2025


प्राचार्य,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
रायपुर क्षेत्र

विषय: सत्र 2025-26 के दौरान एक ही स्टेशन के अंतर्गत एक के.वि. से दूसरे के.वि. में विद्यार्थियों के स्थानीय स्थानांतरण के संबंध में महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि एक ही स्टेशन पर स्थित एक के.वि. से दूसरे के.वि. में विद्यार्थियों के स्थानीय स्थानांतरण पर इस कार्यालय द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार विचार किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे सभी संबंधित अभिभावकों की जानकारी के लिए अधिसूचित करें तथा गतिविधियों की अनुसूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें तथा विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। विद्यार्थियों के स्थानीय स्थानांतरण की मांग करने वाले अभिभावकों के आवेदन पर नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए विचार किया जाएगा:-

1. स्थानीय स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों (2 सेट) में तैयार किए जाने चाहिए तथा अपने बच्चों के स्थानीय स्थानांतरण की मांग करने वाले अभिभावकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
2. जिस के.वि. में बच्चा वर्तमान में अध्ययन कर रहा है, उसके प्राचार्य आवेदन तथा सहायक दस्तावेजों की जांच करेंगे।
3. प्राचार्य आवेदन की एक प्रति आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए रखेंगे और दूसरी प्रति (केवल वास्तविक मामले) क्षेत्रीय कार्यालय को आगे की प्रक्रिया के लिए अपनी सिफारिशों के साथ एक ही बंडल में भेजेंगे।
4. स्थानीय स्थानांतरण मामलों की स्क्रीनिंग संभाग स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी आवेदनों की जांच करेगी और प्रवेश दिशानिर्देश 2025-26 के भाग ए के पैरा 7 (बी) के अनुसार मामले की योग्यता के आधार पर स्थानीय स्थानांतरण पर प्रवेश को मंजूरी देगी।
5. कोई भी केवि स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म को उचित सहायक दस्तावेजों और उनकी जांच के बिना सीधे क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजेगा।
6. छात्रों के वास्तविक मामलों के स्थानीय स्थानांतरण के लिए केवि द्वारा अपनाई जाने वाली समय-सीमा इस प्रकार है-
 - a) अभिभावकों द्वारा विधिवत भरे गए स्थानीय स्थानांतरण फॉर्म को संबंधित केवि में जमा करना : 30 जून 2025 तक
 - b) वास्तविक स्थानीय स्थानांतरण मामलों को क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना : 10 जुलाई 2025 तक।
 - c) स्थानीय स्थानांतरणों की सूची प्रदर्शित करना : 21 जुलाई 2025 तक
 - d) स्थानीय स्थानांतरण के लिए किसी भी आवेदन पर ऊपर दी गई समय-सीमा के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
7. किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों को स्थानीय स्थानांतरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए।

भवदीय



(रवींद्र कुमार)

सहायक आयुक्त

संलग्न:

1. स्थानीय स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार]
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक- 2, रायपुर कैम्पस
सैक्टर- 4, दीनदयाल उपाध्याय नगर
रायपुर, छत्तीसगढ़- 492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]
Regional Office, Raipur
KV. No.2, Raipur Campus
Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar
Raipur, Chhattisgarh-492010

website: www.roraipur.kvs.gov.in, E-mail:- ackvsvsraipur@gmail.com, Tel:-0771-2262912(DC), 2262913 (AC)

फा.क्र.320-331/के.वि.सं.(क्षे.का)/रायपुर/Adm/2025-26/

दिनांक: 01/04/2025

The Principal
All KVs
Raipur Region

Sub.: Local transfer of students from one KV to another KV within the same station during the Session 2025-26 reg.

Madam/Sir,

With reference to the aforesaid subject it is to state that the Local Transfer of students from one KV to another KV within the same station will be considered by this office as per the schedule given below. You are therefore requested to notify the same for information of all the concerned Parents/Guardians and display the schedule of activities on School Notice Board and upload the same on Vidyalaya Website. The application of the parents seeking local transfer of students should be considered by following the procedure as mentioned below:

1. The Local transfer application forms are to be prepared in duplicate (2 sets) & made available to the parents, seeking local transfer of their wards.
2. The Principal of the KV where the child is presently studying will scrutinize the application and the supporting documents.
3. The Principal will keep one copy of the application for official record & shall send the second copy (genuine cases only) to the regional office in a single bunch with his recommendations for further process at the Regional Office.
4. Local transfer cases would be screened by the Screening Committee constituted at the Regional Level. Screening Committee under the Chairpersonship of the Deputy Commissioner will scrutinize the applications & approve admissions on local transfers on the merit of the case as per Para 7(B) of the Part A of the Admission Guidelines 2026-26.
5. No KV shall send the local transfer forms directly to RO without proper supporting documents and their scrutiny.
6. The time line to be followed by the KVs for local transfer of genuine cases of students is as follows-
 - a) Submission of duly filled local transfer forms by the Parents to the concerned KV- **by 30th June 2025.**
 - b) Sending genuine local transfer cases to the Regional Office - **by 10th July 2025.**
 - c) Display of list of local transfers : **by 21st July 2025**
 - d) No application for Local Transfers will be considered beyond the schedule given above.
7. Under No circumstances parents should be advised to go to the Regional Office for local transfer.

Yours truly

(Ravindra Kumar)
Assistant Commissioner

Encl.:

1. Application form for Local Transfer